

विविध बैंक प्रकरण संख्या 76/2019 (RCMS 2019/00127) पंजाब नेशनल बैंक  
जरिये श्री संजीव खेरा, मुख्य/शाखा प्रबन्धक, शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर  
(राज.) बनाम श्री राज कुमार जाखड़ पुत्र श्री जगदीश जाखड़ निवासी मकान नं.  
1713, होम लैंड 2<sup>nd</sup>, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर

18.11.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित हैं। बहस सुनी गई।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी  
द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक  
द्वारा अप्रार्थी श्री राज कुमार जाखड़ को ऋण सुविधा के रूप में 22.00 लाख रुपये  
(अखरे रुपये बाईस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 07.12.2016 को स्वीकृत किया था  
और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री राज कुमार जाखड़ की अचल  
सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. 1713 (पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ), होम  
लैंड 2<sup>nd</sup>, किल्ला नं. 19-20, मुरब्बा नं. 34, चक 1 एफ छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल  
60' गुणा 30') में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन  
है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान  
नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.09.2018 को अनर्जक  
परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम  
दिनांक 30.09.2018 को 22,27,873/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज  
व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत  
60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 10.10.2018 को उक्त बकाया राशि  
जमा करवाने का दिया गया, जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त  
बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी  
बैंक के पास बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी राज कुमार जाखड़ की अचल सम्पत्ति  
रिहायशी मकान नं. 1713 (पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ), होम लैंड 2<sup>nd</sup>,

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

किल्ला नं. 19-20, मुरब्बा नं. 34, चक 1 एफ छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 60' गुणा 30') का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री राज कुमार जाखड़ को 22.00/-लाख रुपये (अखरे रुपये बाईस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 07.12.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में राज कुमार जाखड़ की अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. 1713 (पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ), होम लैंड 2<sup>nd</sup>, किल्ला नं. 19-20, मुरब्बा नं. 34, चक 1 एफ छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 60' गुणा 30') जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.09.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक दिनांक 10.10.2018 जारी किया गया। धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है जिसको भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं ट्रैक कन्साईन्मेंट की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो चुका है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. 1713 (पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ), होम लैंड 2<sup>nd</sup>, किल्ला नं. 19-20, मुरब्बा नं. 34, चक 1 एफ छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 60' गुणा 30') जो श्री राज कुमार जाखड़ के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.10.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 10.10.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी श्री राज कुमार जाखड़ के नाम जारी किये गये है एवं उक्त धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है, जिसकी रसीद एवं प्राप्ति के ट्रैक कन्साईन्मेंट की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप धारा 13(2) के नोटिस की पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मेंट की प्रतियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री राज कुमार जाखड़ द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. 1713 (पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ), होम लैंड 2<sup>nd</sup>, किल्ला नं. 19-20, मुर्ब्बा नं. 34, चक 1 एफ छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 60' गुणा 30') जो श्री राज कुमार जाखड़ के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर